न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

**अपील संख्या आर टी ए/147/2014**

**उनवान**

1. भोजा पिता मियाराम गुर्जर मृतक के कायम मुकाम :–
   1/1 श्रीमती कंकु देवी बेवा भोजा गुर्जर
   1/2 महादेव पिता स्व0 भोजा गुर्जर
   1/3 नारायण पिता स्व0 भोजा गुर्जर
   1/4 शंभुलाल पिता भोजा गुर्जर समस्त निवासीयान बडाखेडा त्हसील आसीन्द जिला भीलवाडा
   1/5 कमलादेवी पुत्री भोजा गुर्जर पत्नि उगमा गुर्जर निवासी मोहरा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
   1/6 श्रीमति प्रेम पुत्री भोजा गुर्जर पत्नि लेहरू गुर्जर निवासी मेफलियास, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. हरदेव मुतबन्ना बालु जाति गुर्जर निवासी बडाखेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. ज्वारा पिता मियाराम गुर्जर निवासी बडाखेडा तहसील आसीन्द मृतक के बजाय उसके कायम मुकाम :–
   1/1 जगु पिता ज्वारा गुर्जर निवासी बडा खेडा
   1/2 भागु पिता ज्वारा गुर्जर निवासी बडा खेडा के कायम मुकामः–
   1/2 क श्रीमती उगमी पत्नि भागु गुर्जर निवासी बडाखेडा
   1/2 ख नंदा पिता स्व0 भागु गुर्जर निवासी बडाखेडा
   1/2 ग कैलाश पिता भागु गुर्जर निवासी बडाखेडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1/2 घ कंचन पुत्री स्व0 भागु गुर्जर नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती उगमी पत्नि स्व0 भागु गुर्जर निवासी बडाखेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

1/2 ड गंगा पुत्री भागु नाबालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती उगमी पत्नि स्व0 भागु गुर्जर निवासी बडाखेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

1/3 सरजू पत्नि ज्वारा गुर्जर निवासी बडाखेडा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

2. चांदी पत्नि धन्ना गुर्जर निवासी बडा खेडा तहसील आसीन्द
3. मांगू पिता भोला गुर्जर निवासी बडा खेडा तहसील आसीन्द
4. लालु पिता हरिंग गुर्जर निवासी बडाखेडा मृतक के कायम मुकाम :–

4/1 मांगु पिता लालु गुर्जर निवासी बडा खेडा

4/2 रूक्मण पुत्री लालु गुर्जर पत्नि नारायण गुर्जर निवासी बाजुन्दा तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

4/3 रंगु पुत्री लालु गुर्जर पत्नि नारायण गुर्जर निवासी आमदला तहसील करेडा जिला भीलवाडा

4/4 गजरी पुत्री लालु गुर्जर पत्नि किशना गुर्जर निवासी परा, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 127/20 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.9.2012

अधिवक्तागण :–

1. श्री आर एल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री एम एल बापना ,अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 23.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बडाखेडा पटवार क्षेत्र दांतडा तहसील आसीन्द में आराजी नम्बर 414/2 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 413/2 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खाता संख्या 81 स्थित होकर प्रतिवादी संख्या 2व 3 के पिता भोला पिता मीयाराम के नाम पर खातेदारी दर्ज है तथा आराजी नम्बर 385 रकबा 1 बीघा आराजी नम्बर 383 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी नम्बर 410 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 411 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, आराजी नम्बर 412 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खाता संख्या 83 कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा, भोला, बालू, जवारी, भौजा पिता मीयाराम के शामलाती खातेदारी से दर्ज है। मौजा आसीन्द पटवार क्षेत्र आसीन्द में आराजी नम्बर 37, 38, 39/46 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा खाता संख्या 183 श्री जवारा पिता मीयाराम प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी से दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 37, 38, 39/55 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा खाता संख्या 253, श्री हरिंग पिता कालू गुर्जर प्रतिवादी संख्या 4 के पिता के नाम 1/2 हिस्सा खातेदारी है। जो विरासत से प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर आई है। और 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पिता भोला पिता मियाराम के नाम पर है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 37, 38, 39/55 रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा भी हरिंग पिता कालू, भोला पिता मियाराम के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है। वादी संख्या 1 भोजा प्रतिवादी संख्या 1 जवारा , प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का पिता भोला

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

और वादी संख्या 2 का दत्तक ग्रहिता पिता बालू सगे भाई होकर संयुक्त परिवार के रूप में रहते आये हैं। और उपरोक्त आराजियात पैतृक एवं शामलाती जायदाद होकर मौके पर आपसी रजामन्दी से काश्त कर रहे है। बालू पिता मियाराम के जायन्दा संतान नहीं होने से वादी संख्या 2 को विधिवत एवं जातीय रिति–रिवाज से गोद पुत्र रखा है और वादी संख्या 2 बालू के हिस्से का हकदार है। बालू एवं भोला फौत हो चुके हैं। उपरोक्त आराजियात में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/4 हिस्सा होना चाहिये। इस प्रकार रेकार्ड मं निम्नांकित आराजियात दर्ज होना चाहिये ।

| काश्तकार का नाम | आराजी नम्बर व रकबा |
|---|---|
| क. भौजा पिता मियाराम<br>जवारा पिता मियाराम<br>हरदेव मुतबन्ना बालू<br>मांगू,धन्ना पिता भोला हि.ब. | 414/2 , 413/2<br>रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा |
| ख. धन्ना, मांगू पिता भोला<br>हरदेव मुतबन्ना बालू<br>जवारा पिता मीयाराम<br>भौजा पिता मीयाराम | 385, 386, 410, 411, 412<br>रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा |
| ग. धन्ना, मांगू पिता भोला<br>हरदेव मुतबन्ना बालू<br>जवारा पिता मीयाराम<br>भोजा पिता मियाराम | 37,38,39/49<br>37, 38, 39/56<br>रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा |
| घ. लालू पिता हरींग 1/2<br>धन्ना,मांगू पिता भोला<br>हरदेव मुतबन्ना बालू,<br>जवारा पिता मियाराम<br>भोजा पिता मियाराम 1/2 | 37, 38, 39/45<br>रकबा 2 बीघा 18 बिस्वा |

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

ड. लालू पिता हरींग 1/2 37, 38, 39/55
धन्ना ,मांगू पिता भोला रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा
हरदेव मुतबन्ना बालू
जवारा पिता मियाराम
भोजा पिता मियाराम 1/2

2. उपरोक्त आराजियात मौके पर आपसी विभाजन कर काश्त करते आ रहे हैं परन्तु लगान जमा कराने तथा रकबे कमी बेशी का विविाद बना आ रहा है। तथा राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होकर काश्तकारों के खाते का बंटवाडा करना आवश्यक हो गया है। वादकरण इसी वर्ष फसल बोवाई के समय उत्पन्न हुआ है तथा हो रहा है। अतः बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 से 4 इस आशय का निर्णय व डिक्री प्रदत्त की जावे कि उक्त जायदाद के हकदार काश्तकार चरण संख्या 3 में दर्ज हिस्से अनुसार है व बंटवाडे की डिक्री प्रदान की जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे अन्य किसी की जमीन पर हस्तक्षेप न तो स्वयं करें एवं न ही किसी अन्य से करावें।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 30.12.1987 से वादीगण का वाद डिक्री किया गया बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 30.11.1993 को पारित की गई। जिससे व्यथित होकर न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 7.10. 1999 पारित कर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.11.93 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया गया कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर, शहादत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

सबूत लेकर तनकीवाईज निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.9.2012 पारित की गई। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण रिमाण्ड किया गया जिसकी सूचना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण को नहीं दी गई। इस कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण को यथासमय नहीं हो सकी । दिनांक 2.9. 2014 को रेस्पोडेण्ट्स अपीलाण्ट्स को बेदखल करने लगे तो वादीगण/अपीलाण्ट ने इसका विरोध किया तो रेस्पोडेण्ट्स ने कहा कि न्यायालय से हमारे पक्ष में फैसला हो चुका है। हस कारण हम तुम्हे इस आराजियात से बेदखल करके रहेंगे। तब जानकारी होने पर अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रति प्राप्त कर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जावे एव अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जावे।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के यहॉ वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किय कि ग्राम बडा खेडा तहसील आसीन्द के आराजी नम्बर 414/2 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 402/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खाता संख्या 81 में स्थित होकर भोला पिता मियाराम जी के नाम

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार आराजी नम्बर 385 , 383, 410 411, 412, कुल किता 5 कुल रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि भोला, बालू, ज्वारा, भोजा पिता मियाराम के नाम शामलाती खाते दर्ज रेकार्ड है। मौजा ग्राम आसीन्द पटवार क्षेत्र आसीन्द में आराजी नम्बर 37, 38, 39/56 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि हरिंग पिता कालू गुर्जर 1/2 , भोला पिता मियाराम के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है एवं आराजी नम्बर 37, 38, 39/55 रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा भूमि हरिंग पिता कालू और भोला पिता मियाराम के नाम के नाम खातेदारी से दर्ज है। उक्त आराजियात में भोला व ज्वारा के नाम पर जो आराजियात है वह पुश्तैनी आराजियात होकर संयुक्त खातेदारी व काश्त की आराजियात है, लेकिन उक्त आराजियात केवल ज्वारा व भोला के नाम पर दर्ज हो गई है। जबकि इसमें वादीगण का भी हिस्सा निहित है। इस कारण वादीगण को भी खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण निर्णय व डिक्री पारित की । जिसकी प्रथम अपील माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जो बाद विचारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण को उभयपक्ष को सुनकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा को रिमाण्ड किया गया । जिस पर उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के यहाँ प्रकरण दर्ज किया गया परन्तु अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी गई। इसके उपरान्त उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द का न्यायालय सृजित हो जाने से प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया जिसकी भी सूचना अपीलार्थीगण को नहीं दी गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.9.2012 को अपीलार्थीगण/वादीगण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का वाद पत्र खारिज कर दिया । जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम बडाखेडा तहसील आसीन्द के आराजी नम्बर 414/2 रकबा 6 बिस्वा, आराजी नम्बर 402/1 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खाता संख्या 81 स्थित होकर भोला पिता मियाराम जी के नाम दर्ज रेकार्ड है । इसी प्रकार आराजी नम्बर 385, 383, 410, 411, एवं 412 कुल किता 5 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा भूमि भोला, बालू, ज्वारा, भोजा पिता मियाराम के नाम शामलाती खाते में दर्ज रेकार्ड है। मौजा आसीन्द में आराजी नम्बर 37, 38, 39/49 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा, भूमि ज्वारा पिता मियाराम के नाम आराजी नम्बर 37, 38, 39/56 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, भूमि हरिंग पिता कालू गुर्जर 1/2, भोला पिता मियाराम के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज है एवं आराजी नम्बर 37, 38, 39/55 रकबा 21 बीघा 8 बिस्वा भूमि हरिंग पिता कालू, और भोला पिता मियाराम के नाम जैर खातेदारी से दर्ज है। जिसके हाल आराजी नम्बर ग्राम बडा खेडा तहसील आसीन्द के आराजी नम्बर 639, 652, 675, 676, 677, किता 6 रकबा 1.73 हेक्टेयर , ग्राम बडा खेडा की आराजी नम्बर 678, 681, 718/1001 किता 3, 0.6000 हेक्टेयर, ग्राम बडा खेडा की आराजी नम्बर 678, 681, 699, 702 कुल किता 4 रकबा 0.7500 हेक्टेयर, व ग्राम आसीन्द की आराजी नम्बर 1823 लगायत 1829, 1856 लगायत 1863 कुल किता 15 कुल रकबा 5.1000 हेक्टेयर कायम हुए जो विरासत से प्रतिवादीगण रेस्पोडेण्ट्स के नाम पर आई है। वादी अपीलार्थी संख्या 1 भोजा , प्रतिवादीसंख्या 1 ज्वारा जो प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का पिता भोला और वादी संख्या 2 का दत्तकगृहिता पिता बालू सगे भाई होकर संयुक्त परिवार के रूप में रहते आये हैं एवं उक्त आराजियात पैतृक व शामलाती जायदाद होकर मौके

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पर आपसी रजामंदी से काश्त कर रहे हैं । बालू पिता मियाराम के जायन्दा संतान नहीं होने से वादी अपीलाण्ट संख्या 2 को विधिवित एंवं जातीय रीति–रिवाज अनुसार गोदपुत्र रखा है और वादी संख्या 2 कालू के हिस्से का हकदार है। इस प्रकार के समस्त तथ्य वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में साबित कराये थे एवं पुनः सुनवाई का अवसर दिया जाता तो साक्ष्य द्वारा और साबित करवा देते लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना सुनवाई का अवसर दिये ही आलौच्य निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्त योग्य है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात में प्रतिवादी संख्या 4 लालू के हिस्से को छोडकर शेष जायदाद में वादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, वादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 2व 3 का 1/4 हिस्सा है एवं इसी प्रकार से राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिये था लेकिन उक्त आराजियात वादीगण के नाम दर्ज नहीं होकर प्रतिवादी ज्वारा, व धन्ना एवं मागू पिता लालू के नाम दर्ज हो गई लेकिन उक्त आराजियात पुश्तैनी होने से उक्त आराजी में 1/4, 1/4 हिस्सा अपीलाण्ट्स/वादीगण का है। इस प्रकार के समस्त तथ्य वादीगण/अपीलाण्ट्स ने अधीनस्थ न्यायालय में साबित करवाये लेकिन इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण का वाद निरस्त कर निर्णय एवं डिक्री पारित की जो निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उपरोक्त आराजियात का मौके पर आपसी विभाजन कर वादीगण/अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स/प्रतिवादीगण अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिबज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

द्वारा प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा के यहॉ रिमाण्ड करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय गुलाबपुरा का यह दायित्व बनता था कि वह वदीगण अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु सूचना प्रेषित करते। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्/वादीगण को कोई सूचना नहीं दी एवं मात्र वादीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति लिख दी । लेकिन वादीगण के अधिवक्ता ने भी अपीलाण्ट् को मामले की कोई जानकारी नहीं दी । इस कारण अपीलाण्ट्स/वादीगण अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके एवं अपना पक्ष नहीं रख सके। कालान्तर में उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द का न्यायालय सृजित हो जाने से प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के न्यायालय में स्थानान्तरित किया गया जिसकी भी सूचना उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण को नहीं दी गई। इस कारण अपीलाण्ट्स/वादीगण उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सके एवं अपने अधिवक्ता को नियुक्त नही कर सके परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण के अधिवक्ता की उपस्थिति लिखते हुए प्रकरण में कार्यवाही निष्पादित की जो सरासर गलत है यदि अधीनस्थन्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण को सूचना दी गई होती तो अपीलार्थीगण/वादीगण अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखते । अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण के रिमाण्ड किये जाने के साथ ही दोनों पक्षों को सुनकर, तनकीवाईज, साक्ष्य सबूत लेकर पुनः निर्णय पारित किये जाने हेतु निर्देश दिये थे। जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई। इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त योग्य है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण के विचारण के दौरान अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से साक्ष्य के रूप में भोजा, एवं हरदेव के बयान लेखबद्ध किये गये थे। प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी में था एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के फलस्वरूप साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 30.12.87 द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया था। पत्रावली उसके उपरान्त प्रस्ताव मंगवाने में चली । दिनांक 15.11.88 को प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । जिस पर सुनवाई के उपरान्त दिनांक 10.4.89 को जो आराजी नम्बर लिखने से छूट गया था उस हेतु संशोधन के आदेश दिये गये थे। प्रकरण बंटवाडा प्रस्ताव में लंबित चलता रहा। दिनांक 10.12.91 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री हेतु स्टाम्प ड्यूटी की मांग भी की । दिनांक 30.11.93 जो निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय एवं अंतिम डिक्री की प्रत्यर्थीगण ने अपील प्रस्तुत की । जहॉ से माननीय न्यायालय ने प्रकरण को रिमाण्ड कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश दिया । चूंकि माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा ने निर्णय एवं अंतिम डिक्री को खारिज किया था तो अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि वे प्रकरण में पुनः बंटवाडा प्रस्ताव तलब करते एवं उभयपक्ष को उस पर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर रेकार्ड उपलब्ध था। वादग्रस्त आराजियात बाबत भाईयों में जो लिखापढी थी वह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध थी। अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड का कोई अवलोकन नहीं किया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

एवं अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जो खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थी संख्या 2 हरदेव जो कि बालू जी के गोद गया था। इस तथ्य की पुष्टि के प्रमाणस्वरूप जागा की पोथी प्रस्तुत की थी। हरदेव जी के यहॉ संवत 2038 में गोद जाना भी बताया गया था। राजस्व रेकार्ड से वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी होना भी साक्ष्य से प्रमाणित था। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रेकार्ड, गवाहान के बयान, रेकार्ड का अवलोकन नहीं कर अपीलार्थीगण / वादीगण का वाद पत्र ही खारिज कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

12. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का यह भी निवेदन है कि मामले में प्रतिवादी ज्वारा की दिनांक 22.2.2011 को मृत्यु हो चुकी थी एवं प्रतिवादी लालू की भी मृत्यु अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पहले हो चुकी थी। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक ज्वारा एवं लालू के वारिसों को पक्षकार नहीं बनाया एवं मृतक ज्वारा एवं लालू मृतकों के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया । अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर डी 1968 पेज 48 ठाकुर केसरी सिंह बनाम सरपंच ग्राम पंचायत देह, आर बी जे 2002 पेज 608 मनीराम बनाम सरकार, आर बी जे 2002 पेज 381 , आर बी जे 2002 पेज 304, आर बी जे 2002 पेज 191 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

13. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.11.93 की अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के यहॉ प्रस्तुत होने पर अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त कर प्रकरण को उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश पारित किया । यदि अपीलार्थीगण उस आदेश से असंतुष्ट थे तो उस आदेश की अपील प्रस्तुत करते। वादग्रस्त आराजी भोला को आवंटितसुदा भूमि है। उक्त भूमि पैतृक भूमि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों का अवलोकन कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधिसम्मत होने से अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

14. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि हरदेव का बालू के यहॉ गोद जाने का प्रश्न है गोद नामे का बिन्दु सिविल न्यायालय में तय होगा । गोद नामा रजिस्टर्ड नहीं है। जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पैतृक होने का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण/वादीगण जमाबंदी प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र थे। उन्हें वहॉ राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत करना चाहिये था। जहॉ तक जागा की पोथी का प्रश्न है उस पर किसी भी गवाह के हस्ताक्षर नहीं है। उक्त दतावेज अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

15. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण प्रस्तुत किया है वह सद्भाविक नहीं होने से अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

16. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

17. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय गुलाबपुरा के निर्णय एंव अंतिम डिक्री दिनांक 30. 11.93 की अपील पूर्व में माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा में प्रस्तुत की गई थी। ऐसी स्थिति में मात्र बंटवाडा प्रस्ताव ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मंगवाया जाना चाहिये था। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया । अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया जिससे अपीलार्थीगण अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गये ।

18. अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात पुश्तैनी आराजियात होने का कथन किया एवं राजस्व रेकार्ड उनके द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया । खसरा तुलनात्मक, भू प्रबन्ध विभाग, जमाबंदी संवत 2021 से 2024 , खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय ग्राम आसीन्द संवत 2035 से 2038, खसरा गिरदावरी चतुवर्षीय ग्राम बडाखेडा संवत 2035 से 2038 , मिलान क्षेत्रफल भू प्रबन्ध विभाग आदि दस्तावेज प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजियात को पुश्तैनी होने का निवेदन किया । साथ ही निवेदन किया कि

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण ने हरदेव अपीलार्थी संख्या 2 बालू जी के गोद गया था। इस बाबत जागा जी की पोथी एवं पारिवारिक स्तर पर भाईयों में जो लिखा पढी हुई थी। वह अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध होते हुए भी उसका अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र ही खारिज कर दिया जो विधिविरूद्ध है।

19. चूंकि मूल वाद में उभयपक्ष के हक हितों का उभयपक्ष के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, राजस्व रेकार्ड, साक्ष्य के आधार पर अंतिम तौर पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त की पालना में उभयपक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना नितान्त आवश्यक है। अपीलाधीन मामले में अपीलार्थीगण ने राजस्व रेकार्ड प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजियात को पुश्तैनी होने का कथन किया है। चूंकि वाद के विचारण के दौरान प्रतिवादी ज्वारा की दिनांक 22.2.2011 को मृत्यु हो चुकी थी एवं प्रतिवादी लालू की भी मृत्यु हो चुकी थी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त मृतक के कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिये बिना ही मृतक व्यक्तियों के विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित की गई है। अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुलाबपुरा द्वारा जिन दस्तावेजात के आधार पर अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित की थी उसके उपरान्त बंटवाडा प्रस्ताव आने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की । जिसकी अपील होने पर न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण के उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु दिये गये निर्देशों की पालना में पुनः

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज किया गया । जो दस्तावेज एवं साक्ष्य पत्रावली पर पूर्व में उपलब्ध थे, वे पत्रावली पर होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने उनका अवलोकन किये बिना एवं उस पर बिना कोई निर्णय दिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज किया है जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

20. अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.9.2012 को निरस्त किया जाता है चूंकि प्रकरण वर्ष 1983 में संस्थित होकर बहुत पुराने समय से न्यायालय में विचाराधीन रहा है अतः प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, रेकार्ड एवं पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, साक्ष्य का अवलोकन कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर पुनः 6 माह में निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 29/10/18 को उपस्थित रहें।

21. निर्णय आज दिनांक 23.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

23/8/18

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा